बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी)

प्रेषक

कृष्ण मुरारी प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

द्वाराः– X वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– आग्नेयास्त्रों की उपलब्धता के अनुपात में आयुद्विक संवर्ग के कर्मियों के 92 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति।

महाशय,

बिहार राज्य के पुलिस बल में अपराध नियंत्रण के निमित्त वृद्धि हुई है। पुलिस बल के हथियारों का रख रखाव एवं सफाई आदि ससमय हो, यह इनके उपयोगी होने के लिए आवश्यक है। पुलिस बल में उपलब्ध पुराने हथियारों के साथ–साथ अत्याधुनिक हथियारों जिसकी संख्या में वृद्धि हुई है,,की सफाई एवं रख रखाव की जिम्मेदारी आयुद्विक संवर्ग के कर्मियों की है।

2. विभिन्न जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त राज्य में पुलिस संगठन के अधीन सभी आयुद्ध भंडार, केन्द्रीय आयुद्ध कर्मशाला–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, पटना एवं प्रस्तावित पुलिस एकेडमी, राजगीर के रूप में कुल 71 प्रतिष्ठानों में संधारित आग्नेयास्त्रों एवं आयुद्विक सामग्रियों की देखभाल का दायित्व भी इसी संवर्ग के कर्मियों का है।

3. पुलिस हस्तक नियम 1106 (क) के अनुसार 600 (छः सौ) आग्नेयास्त्रों पर एक आयुद्धपाल हवलदार एवं एक आयुद्धपाल सिपाही के पद अनुमान्य हैं जबकि प्रत्येक प्रतिष्ठान हेतु एक आयुद्धपाल जमादार एवं सभी क्षेत्र, रेल क्षेत्र, केन्द्रीय आयुद्ध कर्मशाला–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, पटना के केन्द्रीय आयुद्ध भण्डार, में एक–एक, बिहार सैन्य पुलिस की 16 वाहिनियों के लिए 4–4 (चार), सी0टी0एस0 नाथनगर पुलिस एकेडमी राजगीर, एवं एस0टी0एफ0, पटना के लिए एक–एक सुबेदार का पद अनुमान्य है।

4. आयुद्विक संवर्ग में उपलब्ध बल की संख्या– 436 (चार सौ छत्तीस) है:, जबकि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कुल अनुमान्यता 528 (पाँच सौ अठाईस) पदों की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध बल से सभी 71 (एकहत्तर) प्रतिष्ठानों में उपलब्ध शस्त्रों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण, मरम्मति एवं सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं हो पाते है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण की कार्रवाई के तहत नये एवं आधुनिक तकनीकी वाले अस्त्र–शस्त्र की खरीदगी की जा रही है। अतः इस दृष्टिकोण से भी आयुद्धपाल संवर्ग में पर्याप्त पद बल का होना नितान्त आवश्यक है।

5. अतः आयुद्ध संवर्ग में नितांत आवश्यक निम्नांकित 92 पदों का सृजन वर्णित पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे में किया जाता है।

क्रम सं0	पदनाम	पदों की संख्या	पे बैण्ड	ग्रेड पे
1	सुबेदार (आयुधिक)	18	9300–34800	4600
2	जमादार (आयुधिक)	06	9300–34800	4200
3	हवलदार (आयुधिक)	36	5200–20200	2000
4	सिपाही (आयुधिक)	32	5200–20200	1900
	कुल	92		

6. इन पदों की गणना समान वेतनमान के समकक्ष पद, जो विभागीय संकल्प सं0– 1811 दिनांक 06.03.2013 के वर्ष 2012–13 में जनसंख्या के हिसाब से आवश्यक पुलिस बल के पद के रूप में सृजित है, के अधीन की जायेगी।

7. उपर्युक्त पदों के सृजन पर कुल अनुमानित वार्षिक आवर्तक व्यय– 4,17,05,600/– (चार करोड़ सत्रह लाख पाँच हजार छः सौ रूपये) मात्र है, जिसका बजट शीर्ष 2055–पुलिस–109–जिला पुलिस–जिला कार्यकारी बल विपत्र कोड एन–2055001090001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा एवं इस राशि की निकासी संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक/बिहार सैन्य पुलिस के समादेष्टा द्वारा संबंधित जिला कोषागार से किया जायेगा। (व्यय विवरणी अनुलग्नक– 1)

8. इसमें वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4/स्था0मु0सृ0–118/2005 गृ0आ0 5435 पटना, दिनांक 17. जुलाई 2013

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव